

# पुलिस अधिक्षक, अहमदनगर (महाराष्ट्र)

डीएसपी चौक, औरंगाबाद रोड, अहमदनगर

E-mail- sp.ahmednagar@gmail.com



ISO-9001:2015 CERTIFIED

## अनुमति पत्रक/अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रति,

कार्यापालन संचालक,  
आइडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड,  
वेलफेयर सोसायटी,  
रायपूर (छ.ग.)

क्रमांक:- शहर वाहतूक शाखा/ ५२६ /२०१५

अहमदनगर

दिनांक :- २९/०४/२०१५

विषय :- पी.पी.पी तर्ज पर अहमदनगर शहर मे जिगल एवं स्पीक्स द्वारा जन जागरूकता अभियान हेतु अनुमति/अनापत्ति बाबत

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक आई.पी.एस.एण्ड डब्लू एस/०२१, दि.२६/४/२०१५

---०००---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा शहर के मध्य चौक/चौराहों पर जन जागरण अभियान एवं यातायात नियमों से संबंधित जिगल प्रसारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है उपरोक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा चेयर मेन एवं कार्यापालन संचालक आइडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड वेलफेयर सोसायटी रायपूर e/o बीयांड रीच के साथ अनुबंध किया गया है।


अनुबंध अनुसार उपरोक्त संस्था को नगर निगम एवं यातायात व्यवस्था से संबंधित जिगल जनहित में प्रसारित करने के साथ -२ विज्ञापन प्रसारण हेतु १० वर्षों के लिए निम्नलिखित चौक-चौराहों पर वाटर प्रूफ स्पीकर द्वारा जिगल बजाने की अनुमति/अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि ध्वनी विस्तारक यंत्रों की ध्वनि से किसी सामान्य नागरिक के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। तथा किसी धार्मिक भावनाओं ना दुखे। तथा किसी भी प्रकार से मा.उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन न हो।

### चौराहों की सूची:-

- |                  |                      |                 |                           |
|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| १. पत्रकार चौक   | २. प्रेमदान चौक      | ३. डीएसपी चौक   | ४. जीपीओ चौक              |
| ५. चांदणी चौक    | ६. मार्केट यार्ड चौक | ७. इंपीरिअल चौक | ८. अण्णु हत्ती चौक        |
| ९. सक्कर चौक     | १०. सनफार्मा चौक     | ११. कोठला चौक   | १२. जुनी महानगरपालीका चौक |
| १३. कायनेटीक चौक |                      |                 |                           |

(अरविंद भोळे)

सहा.पोलीस निरीक्षक  
शहर वाहतूक शाखा,  
अहमदनगर (महाराष्ट्र)



महाराष्ट्र MAHARASHTRA

2014

LZ 360326

अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक 24/04/2015 को पुलिस अधिक्षक अहमदनगर प्रथम पक्षकार तथा चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक आइडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड वेलफेयर सोसायटी रायपूर C/O बीयांड रीच द्वितीय पक्षकार के मध्य शहर के प्रमुख चौक/चौराहो पर जिगल सिस्टम स्थापना एवं प्रसारण कार्य करने हेतु निष्पादित किया गया। द्वितीय पक्षकार चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक आइडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड वेलफेयर सोसायटी रायपूर को अनुबंध दिनांक से 10 वर्षों तक समस्त शर्तों व नियम मान्य होगा। तदनुसार नचिनीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किया जायेगा। जिगल प्रसारण के लिए काम आने वाले समस्त उपकरण (सिस्टम) पर आने वाले व्यय का वहन द्वितीय पक्षकार के द्वारा किया जावेगा

पुलिस अधिक्षक अहमदनगर पक्षकार क्र. 1 के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जावेगा।



स्थल परिवर्तन की स्थिती मे पुलिस अधिक्षक अहमदनगर द्वारा द्वितीय पक्षकार की सहमति से नगर निगम क्षेत्र के किसी अन्य सिग्नल एवं स्थल पर जिगल सिस्टम को लगाने की अनुमति दी जायेगी।

प्रथम पक्षकार

शहर वाहतूक शाखा, अहमदनगर

गवाह के नाम :-  
हस्ताक्षर :-

Rajesh Marwah  
G2/7 Arank vihar  
Raipur  
98932-31116



ISO 9001:2015 CERTIFIED

एच0सी0सेमवाल

आई.ए.एस.



ISO-9001:2015 CERTIFIED



बलरोम हिरवानी  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
यातायात रायपुर (छ.ग.)



कार्यालय अति० पुलिस अधीक्षक यातायात  
जिला-रायपुर - 493001 छत्तीसगढ़  
फोन : (कार्या०) 0771-4247108, 4247106  
मोबाईल : 94791-91007, 94252-92127  
कार्या० पत्र क्रमांक : .....  
रायपुर दिनांक : .....

क्रमांक :- अपुअ/राय/याता/ 128 /2018

दिनांक 31/03/2018

श्री संदीप धुप्पड़, सुरक्षित भव फाउण्डेशन रायपुर द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उसके परिवार जनों को त्वरित दुर्घटना की सूचना देने एवं तत्काल राहत पंहुचाने के उद्देश्य से आम जनता को "I.C.E. CARD" ( IN CASE OF EMERGENCY CARD ) निःशुल्क जनहित में प्रदान करना चाहती है । इस कार्ड से सड़क का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लाभाविंत होगा । इनके संस्था द्वारा प्रदान किया जाना वाला "I.C.E. CARD" जनोपयोगी है । संस्था को विधि-संभव मदद करने का कष्ट करें ।



ISO-9001:2015 CERTIFIED

प्रति,

श्री संदीप धुप्पड़ (चेयरमेन)  
सुरक्षित भव: फाउण्डेशन  
रायपुर छ०ग०

(बी०आर० हिरवानी)  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
यातायात, रायपुर छ०ग०

सतीश ठाकुर,  
उप पुलिस अधीक्षक,  
यातायात दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक (यातायात)  
जिला-दुर्ग - 491001  
फोन : (कार्या0) 0788-2322071  
मोबाईल : 94255-6841390

क्रमांक- उपुअ/दुर्ग/याता/ 197 . /2018

दिनांक 06.04.2018


श्री संदीप धुप्पड़ सुरक्षित भव फाउण्डेशन रायपुर द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उसके परिवार जनों को त्वरित दुर्घटना की सूचना देने एवं तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आम जनता को I.C.E. CARD (IN CASE OF EMERGENCY CARD) निःशुल्क जनहित में प्रदान करना चाहती है। इस कार्ड से सड़क का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लाभाविंत होगा। इनके संस्था द्वारा प्रदान किया जाना वाला I.C.E. CARD जनोपयोगी है। संस्था को विधि-संभव मदद करने का कष्ट करें।



ISO-9001:2015 CERTIFIED

प्रति,

श्री संदीप धुप्पड़ (चेयरमेन)  
सुरक्षित भव: फाउण्डेशन  
रायपुर छ.ग.।

  
( सतीश ठाकुर )  
उप पुलिस अधीक्षक,  
यातायात, दुर्ग छ.ग.।



सुरेन्द्र सिंह  
आर.पी.एस.



दूरभाष 0154-2443022 (कार्या.)  
0154-2443033 (निवास)

फैक्स : 0154-2443022

ई-मेल asp.sgnr@gmail.com

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

श्रीगंगानगर

क्रमांक :- 202

दिनांक :- 13/2/2017



ISO-9001:2015 CERTIFIED

### Appreciation Letter

It gives me immense pleasure to appreciate the co-operation of Safe Drive Save Life, the Ngo concerned into road safety during 28<sup>th</sup> National Road Safety Week, 30<sup>th</sup> January to 6<sup>th</sup> February, 2017. The NGO has actively participated with zeal and enthusiasm in following activities along with Police Department.

#### Activities

#### Result

School Education Programme

8 Schools were educated for road safety awareness, where more than 1500 students participated.

Oath Campaign

About 4000 People took an oath to follow traffic rules.

Rally

Ngo Helped to organize a rally of 2 & 4 wheelers for awareness of road safety and defensive driving.

Eye & Health Camp

One eye & health camp were organized.

Drama on Road Safety safety.

A drama on road safety was organized to sensitize the people for road

Baisa Campaign rules.

People motivated by female volunteers to follow traffic

Pamphlets/ Reflective tape Distribution

About 150 Tractors-trolleys and camel carts were fitted with retro reflective tape. And pamphlets were city. distributed at various points .

Contribution of Safe Drive Save Life Sansthan is highly commendable and I wish all good luck for the future.

Seal/ Signature

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
श्रीगंगानगर (राज.)

एम0एस0 चंद्रा  
उप पुलिस अधीक्षक  
(यातायात/रोके0)  
जिला-राजनांदगांव (छ0ग0)



कार्यालय उप अधीक्षक (यातायात) राजनांदगांव  
मोबाईल नं0-9479192109

क्रमांक:- उपुअ/राज/याता/ 95 /2018  
प्रति,

श्री संदीप धुप्पड (चेयरमेन)  
सुरक्षित भव: फाउण्डेशन  
रायपुर (छ0ग0)



दिनांक 08/04/2018

ISO-9001:2015 CERTIFIED

श्री संदीप धुप्पड, सुरक्षित भव: फाउण्डेशन रायपुर द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उसके परिवार जनों को त्वरित दुर्घटना की सूचना देने एवं तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आम जनता को "I.C.E. CARD" (IN CASE OF EMERGENCY CARD) नि:शुल्क जनहित में प्रदान करना चाहती है। इस कार्ड से सड़क का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होगा। इनके संस्था द्वारा प्रदान किया जाना वाला "I.C.E. CARD" जनोपयोगी है। संस्था को विधि-संभव मदद करने का कष्ट करें।

( ~~एम0एस0 चंद्रा~~ )  
उप पुलिस अधीक्षक  
( यातायात )

जिला-राजनांदगांव (छ0ग0)



ISO-9001:2015 CERTIFIED


—:: कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) जिला बिलासपुर (छ0ग0) ::—

दूरभाष क0— 07752—226228

कमॉक / अ.पु.अ. / बिला. / याता. / 174 / 2017, बिलासपुर

दिनांक 02.04.2018

श्री संदीप धुप्पड़ सुरक्षित भव फाउण्डेशन रायपुर द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति एवं उसके परिवार जनों को त्वरित दुर्घटना की सूचना देने एवं तत्काल राहत पहुँचाने के उद्देश्य से आम जनता को " I. C. E. [ IN CASE OF EMERGENCY CARD ] निः शुल्क जनहित में प्रदान करना चाहती है। इस कार्ड से सड़क का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होगा। इनके संस्था द्वारा प्रदान किया जाने वाला I C E CARD जन उपयोगी है। संस्था को विधि-संभव मदद करने का कष्ट करें।



( रमाकांत शर्मा )  
उप पुलिस अधीक्षक  
यातायात बिलासपुर  
पुलिस उप अधीक्षक  
यातायात - बिलासपुर

प्रति,



ISO-9001:2015 CERTIFIED



महाराष्ट्र MAHARASHTRA

2014

LZ 360326

अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक 24/04/2015 को पुलिस अधिक्षक अहमदनगर प्रथम पक्षकार तथा चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक आइडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड वेलफेयर सोसायटी रायपूर c/o बीयांड रीच द्वितीय पक्षकार के मध्य शहर के प्रमुख चौक/चौराहो पर जिगल सिस्टम स्थापना एवं प्रसारण कार्य करने हेतु निष्पादित किया गया। द्वितीय पक्षकार चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक आइडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड वेलफेयर सोसायटी रायपूर को अनुबंध दिनांक से 10 वर्षों तक समस्त शर्तों व नियम मान्य होगा। तदनुसार नचिनीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किया जायेगा। जिगल प्रसारण के लिए काम आने वाले समस्त उपकरण (सिस्टम) पर आने वाले व्यय का वहन द्वितीय पक्षकार के द्वारा किया जावेगा

पुलिस अधिक्षक अहमदनगर पक्षकार क्र. 1 के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जावेगा।



स्थल परिवर्तन की स्थिती मे पुलिस अधिक्षक अहमदनगर द्वारा द्वितीय पक्षकार की सहमति से नगर निगम क्षेत्र के किसी अन्य सिग्नल एवं स्थल पर जिगल सिस्टम को लगाने की अनुमति दी जायेगी।

प्रथम पक्षकार

शहर वाहतूक शाखा, अहमदनगर

गवाह के नाम :-  
हस्ताक्षर :-

Rajesh Marwah  
G2/7 Aranki vihar  
Raipur  
98932-31116



ISO-9001:2015 CERTIFIED

# पुलिस अधीक्षक, अहमदनगर (महाराष्ट्र)

डीएसपी चौक, औरंगाबाद रोड, अहमदनगर

E-mail- sp.ahmednagar@gmail.com

अनुमति पत्रक/अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रति,

कार्यापालन संचालक,  
आइडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड,  
वेलफेयर सोसायटी,  
रायपूर (छ.ग.)



ISO-9001:2015 CERTIFIED

क्रमांक:- शहर वाहतूक शाखा/ ५२६ /२०१५

अहमदनगर

दिनांक :- २९/०४/२०१५

विषय :- पी.पी.पी तर्ज पर अहमदनगर शहर मे जिगल एवं स्पीक्स द्वारा जन जागरूकता अभियान हेतु अनुमति/अनापत्ति बाबत

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक आई.पी.एस.एण्ड डब्लू एस/०२१, दि.२६/४/२०१५

---०००---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा शहर के मध्य चौक/चौराहों पर जन जागरण अभियान एवं यातायात नियमों से संबंधित जिगल प्रसारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है उपरोक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा चेयर मेन एवं कार्यापालन संचालक आइडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड वेलफेयर सोसायटी रायपूर e/o बीयांड रीच के साथ अनुबंध किया गया है।

अनुबंध अनुसार उपरोक्त संस्था को नगर निगम एवं यातायात व्यवस्था से संबंधित जिगल जनहित में प्रसारित करने के साथ -२ विज्ञापन प्रसारण हेतु १० वर्षों के लिए निम्नलिखित चौक-चौराहों पर वाटर प्रूफ स्पीकर द्वारा जिगल बजाने की अनुमति/अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि ध्वनी विस्तारक यंत्रों की ध्वनि से किसी सामान्य नागरिक के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। तथा किसी धार्मिक भावनाओं ना दुखे। तथा किसी भी प्रकार से मा.उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन न हो।

चौराहों की सूची:-

- |                  |                      |                 |                           |
|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| १. पत्रकार चौक   | २. प्रेमदान चौक      | ३. डीएसपी चौक   | ४. जीपीओ चौक              |
| ५. चांदणी चौक    | ६. मार्केट यार्ड चौक | ७. इंपीरिअल चौक | ८. अप्पु हत्ती चौक        |
| ९. सक्कर चौक     | १०. सनफार्मा चौक     | ११. कोठला चौक   | १२. जुनी महानगरपालीका चौक |
| १३. कायनेटीक चौक |                      |                 |                           |


(अरविंद भोळे)

सहा.पोलीस निरीक्षक  
शहर वाहतूक शाखा,  
अहमदनगर (महाराष्ट्र)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला-दुर्ग (छ.ग.)

:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::

जिला-दुर्ग के दुर्ग/भिलाई क्षेत्र के महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर वाटर प्रुफ स्पीकर्स द्वारा जिंगल्स प्रसारित कर (उच्च कोटि के स्पीकर्स लगाकर) यातायात संबंधी कानून एवं नियमों की जानकारी देकर आम जनता में जागरूकता लाने हेतु विभिन्न जनहित कार्यों के लिए श्री संदीप धुप्पड़,चेयरमेन एवं कार्यपालन संचालक वास्ते- आइडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड वेलफेयर सोसाईटी रायपुर को अनुमति प्रदान की जाती है।



TRUE-COPY

Smt. KIRAN TIWARI  
Notary & Advocate,  
RAIPUR. (C.G.) INDIA

L 2 FEB 2019



ISO-9001:2015 CERTIFIED



# कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग)

विकास भवन नेहरू चौक के पास, बिलासपुर  
फोन नं. 07752.222642 ए फेक्स नं.07752.413888



ई-esy-commissionerbilaspur@yahoo.com वेबसाईट-www.bmcbilaspur.com

—: अनुमति पत्रक/अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

क. 2014 / न.पा.नि. / वि.वि. / 2014-15

बिलासपुर, दिनांक 12/2/2015

प्रति,

कार्यापालन संचालक  
आइडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड  
वेलफेयर सोसायटी  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- पी.पी.पी तर्ज पर बिलासपुर शहर में जिंगल एवं स्पीक्स द्वारा जन जागरूगता अभियान हेतु अनुमति/अनापत्ति बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक आई. पी.एस. एण्ड डब्लु एस./003 दिनांक 25/01/2015

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत, संदभित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा शहर के मध्य चौक/चौराहों पर जन जागरण अभियान एवं यातायात नियमों से संबंधित जिंगल प्रसारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई हैं उपरोक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा चेयर मेन एवं कार्यपालन संचालक आइडियल पब्लिक सेफ्टी एण्ड वेलफेयर सोसायटी रायपुर e/o बीयांड रीच के साथ अनुबंध क्र...8... दिनांक 11/02/2015 संपादित किया गया हैं ।

अनुबंध अनुसार उपरोक्त संस्था को नगर निगम एवं यातायात व्यवस्था से संबंधित जिंगल जनहित में प्रसारित करने के साथ -2 विज्ञापन प्रसारण हेतु 10 वर्षों के लिए प्रथम चरण में ..... पांच ..... (5) चौक-चौराहों पर वाटर प्रूफ स्पीकर द्वारा जिंगल बजाने की अनुमति/अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती हैं कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि से किसी सामान्य नागरिक के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो । तथा किसी भी प्रकार से माननीय उच्च न्यायलय के दिशा निर्देशों का उलघ्न न हों।

चौराहों की सूची :-

- |              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 01 नेहरू चौक | 02 अग्रसेन चौक | 03 कोतवाली चौक |
| 04 मंगला चौक | 04 सत्यम चौक   |                |



ISO-9001:2015 CERTIFIED

कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोरबा जिला कोरबा छ0ग0

क्रमांक / .पु.अ. / कोरबा / रीडर- / 69 / 14

दिनांक 29 / 05 / 2014

प्रति,

कार्यपालन संचालक

आईपीएसडब्लु

जयराम काम्पलेक्स (रायपुर)




ISO-9001:2015 CERTIFIED

विषय-: अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

संदर्भ-: आपका पत्र क्रमांक / जिंगल / 2014-24 / 003 दिनांक 14.02.2014,

संदर्भित के माध्यम से आपके द्वारा शहर के मध्य प्रमुख चौक / चौराहो पर यातायात नियमों से संबंधित जिंगल प्रसारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । आपके द्वारा आम जनता को यातायात नियमों की जानकारी एवं पालन के प्रति जागरूकता संबंधी जिंगल का प्रसारण किये जाने हेतु घ्वनि विस्तारक यंत्रों का घ्वनि से किसी सामान्य नागरिक के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न हो , माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार हो । तो अन्य यातायात नियमों से जिंगल प्रसारण करने में यातायात विभाग को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है ।



TRUE-COPY

✓

Smt. KIRAN TIWARI  
Notary / Advocate,  
RAIPUR. (C.G.) INDIA

6/29.5.14

पुलिस अधीक्षक  
जिला-कोरबा (छ.ग.)

L 2 FEB 2019.

कार्यालय यातायात शाखा अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक / 326-A / यातायात / अना. / अम्बिकापुर /

दिनांक 06.04.2016

प्रति,

कार्यपालन संचालक,  
आई.पी.एस.डब्ल्यू,  
जयराम काम्पलेक्स, रायपुर



ISO-9001:2015 CERTIFIED


विषय- अनापत्ति प्रमाण पत्र।

संदर्भ - आपका पत्र क्रमांक / IPSW & WS/027, दिनांक 06.04.2016

---00---

संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा अम्बिकापुर शहर के मुख्य चौक / चौराहों पर यातायात नियमों से संबंधित जिंगल प्रसारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा शहर के मध्य प्रमुख चौक / चौराहों पर यातायात नियमों से संबंधित जिंगल प्रसारण हेतु अनापत्ति प्रमाण प्रदान करने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आपके द्वारा आम जनता को यातायात नियमों की जानकारी एवं पालन के प्रति जागरूकता संबंधी जिंगल का प्रसारण किये जाने हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का ध्वनि से किसी सामान्य नागरिक के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार हो तो अन्य यातायात नियमों से जिंगल प्रसारण करने में यातायात विभाग को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है।



TRUE-COPY

✓

Smt. KIRAN TIWARI  
Notary / Advocate  
RAIPUR. (C.G.) INDIA

यातायात प्रभारी  
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

यातायात प्रभारी  
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर

कं/पुअ/यातायात/ग्वा/ 236 /15  
प्रति,



दिनांक:- 15/06/15

कार्यपालन संचालक,  
आइपीएसडब्ल्यू  
जयराम काम्प्लेक्स, रायपुर

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।  
संदर्भ :- आपका पत्र कं/आइपीएसडब्ल्यूएस/024 दिनांक 1.6.15

ISO-9001:2015 CERTIFIED


कृपया आपके द्वारा अपने संदर्भित पत्र के माध्यम से ग्वालियर शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात नियमों से सम्बन्धित जिंगल प्रसारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । आपके द्वारा आम जनता को यातायात नियमों की जानकारी एवं पालन के प्रति जागरूकता सम्बन्धी जिंगल का प्रसारण किये जाने हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि से किसी सामान्य नागरिक के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, एवं ध्वनि का विस्तार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार हो तो यातायात नियमों से जिंगल प्रसारण करने में यातायात विभाग को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

4  
पुलिस अधीक्षक  
जिला - ग्वालियर

प्रतिलिपि,

आयुक्त नगर निगम, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

पुलिस अधीक्षक  
जिला - ग्वालियर



TRUE-COPY

KZ

Smt. KIRAN TIWARI  
Notary / Advocate,  
RAIPUR (C.G.) INDIA

कार्यालय पुलिस अधीक्षक यातायात, जनपद देहरादून ।

अनापत्ति प्रमाण पत्र


आवेदक श्री संदीप धूपड़, कार्यपालक संचालक आई0पी 0एस0 डब्लू0 के प्रार्थना पत्र के आधार पर नगर क्षेत्र में यातायात नियमो/तरीको के बाबत जनता को जागरूक करने हेतु महत्वपूर्ण चौक चौराहो पर जिंगल सिस्टम स्थापित करके एवं उच्चकोटि के स्पीकर्स द्वारा जागृत करने हेतु अभियान चलाने के सम्बन्ध में, पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून से हुई वार्ता के अनुसार, निम्न शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे।
- 2- ध्वनि प्रदूषण की अनुमन्य तीव्रता का प्रयोग करेंगे एवं यातायात बाधित नहीं करेंगे।
- 3- ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तीव्रता से किसी सामान्य नागरिक के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न हो तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन न हो।
- 4- वीआईपी भ्रमण एवं जलूस व धरना प्रदर्शन के दौरान या जनता की असुविधा पर अथवा किसी भी नियम विरुद्ध कार्यवाही में अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

दिनांक: २५ जून, 2015



पुलिस अधीक्षक यातायात  
देहरादून ।



TRUE-COPY

Smt. KIRAN TIWARI  
Notary / Advocate,  
RAIPUR. (C.G.) INDIA

2 FEB 2019

# पुलिस अधिक्षक, भंडारा (महाराष्ट्र)

Email id – sp.bhandara@mahapolice.gov.in / pitrafficebhandara@gmail.com

## अनुमति पत्रक / अनापत्ति प्रमाण पत्र



प्रति,

कार्यपालन संचालक,  
आईडियल पब्लिक सेप्टी एण्ड,  
वेलफेयर सोसायटी,  
रायपूर (छ.ग.)

क्रमांक :- वानिशा/भंडारा/जिगल प्रसारण/२०१६-४३६ भंडारा दिनांक २०/०१/२०१६

ISO-9001:2015 CERTIFIED

विषय :- पी.पी.पी.तर्ज पर भंडारा शहर में जिगल एवं स्पीकर्स द्वारा जन जागरूकता अभियान हेतु अनुमति / अनापत्ति बाबत.

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक आई.पी.एस. एण्ड डब्ल्यू.एस./०३० दिनांक १९/०९/२०१६

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा शहर के मध्य चौक / चौराहों पर जन जागरण अभियान एवं यातायात नियमों से संबंधित जिगल प्रसारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है। उपरोक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा चेयर मैन एवं कार्यपालन संचालक आईडियल पब्लिक सेप्टी एण्ड वेलफेयर सोसायटी रायपूर C/O चौवाड रोड के साथ अनुबंध किया गया है।

अनुबंध अनुसार उपरोक्त संस्था को नगर निगम एवं यातायात व्यवस्था से संबंधित जिगल जनहित में प्रसारित करने के साथ-२ विज्ञापन प्रसारण हेतु १० वर्षों के लिए निम्नलिखित चौक-चौराहों पर वाटर प्रूफ स्पीकर द्वारा जिगल वजाने की अनुमति/अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि से किसी सामान्य नागरिक के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। तथा किसी धार्मिक भावनाओं को दुखे। तथा किसी भी प्रकार से मा. उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन न हो।

### चौराहों की सूची -

#### १) भंडारा शहर

- |     |                           |     |                  |    |                 |
|-----|---------------------------|-----|------------------|----|-----------------|
| १)  | जिल्हाधिकारी कार्यालय चौक | ३)  | जिल्हा परिषद चौक | ५) | नागपुर नाका चौक |
| ४)  | राजोव गांधी चौक           | ६)  | खामतलाव चौक      | ६) | मनरो चौक        |
| ७)  | गांधी चौक                 | ८)  | पोस्ट ऑफिस चौक   | ७) | बस स्थानक चौक   |
| १०) | मुस्लीम लायब्ररी चौक      | ११) | कारभा टोल नाका   |    |                 |

#### २) लाखनी

- |    |           |    |                |    |               |
|----|-----------|----|----------------|----|---------------|
| १) | तहसील चौक | २) | सिंधी लाईन चौक | ३) | बस स्थानक चौक |
|----|-----------|----|----------------|----|---------------|

#### ३) साकोली

- |    |                |    |                    |    |                  |
|----|----------------|----|--------------------|----|------------------|
| १) | एकोडी फाटा चौक | २) | एसवीआय चौक         | ३) | नागडिरा फाटा चौक |
| ४) | पगती कॉलनी चौक | ४) | सेदुरवाफा टोलनाका  |    |                  |
| ५) | बावकर चौक      | ५) | जुना बस स्थानक चौक | ३) | नविन बस स्थानक   |
| ६) | गुद्रे चौक     | ६) | लोहन पोहा चौक      | ६) | मोठा बाजार चौक   |
| ७) | नगर छोपे चौक   | ७) | जैन मंदिर चौक      |    |                  |



TRUE COPY

Smt. KIRAN TIWARI  
Notary / Advocate,  
RAIPUR. (G.G.) INDIA

2 FEB 2019



20/1/16

(जी.डी.राऊत)

पोलीस निरीक्षक

वाहतुक नियंत्रण शाखा, भंडारा

(महाराष्ट्र)

# भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA  
INDIAN NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA

मनाहर श्रीकाराम गजराव श. भंडारा मा. २८  
PK 393814  
© 2015 ©

मैयत अहमद खली  
स्टेम्प वॉर्डर भंडारा  
प. क्रमांक. १०/१७  
ऑ. एम. सी. डी. प्रमाणक  
४७०९००९

क्रमांक :- 4384  
किंमत :- 100  
दिनांक :- 20/9/16



## अनुबंध

ISO-9001:2015 CERTIFIED

यह अनुबंध आज दिनांक २०/०९/२०१६ को पुलिस अधिक्षक, भंडारा प्रथम पक्षकार तथा चेररमेन एवं कार्यपालन संचालन आइडियल पब्लिक सेप्टी एण्ड वेलफेअर सोसायटी रायपूर c/o मिशन सभव द्वितीय पक्षकार के मध्य शहर के प्रमुख/चौराहो पर जिगल सिस्टम स्थापना एवं प्रसारण कार्य करने हेतु निष्पादित किया गया। द्वितीय पक्षकार चेररमेन एवं कार्यपालन संचालक आइडियल पब्लिक सेप्टी एण्ड वेलफेअर सोसायटी रायपूर को अनुबंध दिनांक से १० वर्षों तक के लिए दिया जा रहा है। जिसमे सुप्रीम कोर्ट के समस्त शर्तें व नियम मान्य होगा। तदनुसार नविनीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किया जायेगा। जिगल प्रसारण के लिए काम आने वाले समस्त उपकरण (सिस्टम) पर आने वाले व्यय का वहन द्वितीय पक्षकार के द्वार किया जावेगा।

पुलिस अधिक्षक, भंडारा पक्षकार क. १ के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जायेगा।


स्थल परिवर्तन की स्थिति में पुलिस अधिक्षक, भंडारा द्वारा द्वितीय पक्षकार की सहमति से नगर निगम क्षेत्र के किसी अन्य सिग्नल एवं स्थल पर जिगल सिस्टम को लगाने की अनुमति दी जायेगी।

प्रथम पक्षकार

द्वितीय पक्षकार

बिनाम  
20/9/16

शहर वाहतुक शाखा, भंडारा



TRUE COPY

कार्यपालन संचालक  
आइडियल पब्लिक सेप्टी एण्ड वेलफेअर

सोसायटी रायपूर.

Smt. KIRAN TIWARI

गवाह के नाम

जगज श्रीकाराम

हस्ताक्षर